बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–05/निदे0(छात्र0)23–151/2016–

संकल्प

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र प्रायोजित ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' तथा राज्य स्कीम से संचालित ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' अन्तर्गत शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क की अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 में संशोधन के सम्बन्ध में।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत् मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2–वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–636 दिनांक–08.03.2019 के आलोक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका एवं निर्धारित मापदंड के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 के आलोक में छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा की दर पर केन्द्र प्रायोजित ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' तथा राज्य स्कीम से संचालित ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' अन्तर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

3–केन्द्र प्रायोजित प्रवेशिकोत्तर योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू0) तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021–22 से संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीम मद से संचालित ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे विद्यार्थियों, जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,50,000/– रू0 (दो लाख पचास हजार रू0) से उपर ₹3,00,000/–(तीन लाख रू0) तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4—विभागीय संकल्प संख्या—4061 दिनांक—16.05.2016 के छात्रवृति की अधिकतम सीमा निर्धारण के पश्चात के तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सों के शिक्षण शुल्क में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति में सभी National Level Institutions (GoI Funding) यथाः—IIM, NIT, IIT, NIFT, AIIMS आदि तथा राज्य के अन्दर के प्रबंधन संस्थान यथाः—CIMP, LNMIM आदि में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित अधिकतम राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी ताकि सरकारी संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ—साथ अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

5—अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः—

(i) वित्तीय वर्ष 2025—26 से केन्द्र प्रायोजित **"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना"** तथा राज्य स्कीम से संचालित **"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना"** अन्तर्गत राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निर्धारित अनिवार्य शुल्क (अप्रतिदेय) शिक्षण शुल्क के साथ अनुमान्य की जायेगी। (अधिकतम वार्षिक सीमा ₹25,000/—के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः—

क्र0 सं0	कोर्स की विवरणी	शिक्षण शुल्क की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण+अनिवार्य शुल्क या निम्ननिर्धारित राशि में दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों/ महाविद्यालयों में इन्टरमीडिएट कक्षा यथा—आई0ए0/आई0एस0सी0/ आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 2,000/—
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0 कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5,000/—
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा एम0ए0/एम0ए0सी0/एम0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹5,000/—
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	₹7,500/—

क्र0 सं0	कोर्स की विवरणी	शिक्षण शुल्क की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण+अनिवार्य शुल्क या निम्ननिर्धारित राशि में दोनों में जो न्यूनतम हो)
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹15,000/–
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा–इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन/कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹25,000/–

(ii)केन्द्र प्रायोजित **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** तथा राज्य स्कीम से संचालित **''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर केन्द्रीय/राज्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के विद्यार्थियों को निर्धारित अनिवार्य शुल्क (अप्रतिदेय) शिक्षण शुल्क के साथ अनुमान्य की जायेगी। अधिकतम छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैंः–

क्र0 सं0	कोर्स की विवरणी	भुगतान की जाने वाली राशि
1	सभी National Level Institutions (GoI Funding) यथाः– IIM, NIT, IIT, NIFT, AIIMS आदि तथा राज्य के अन्दर के प्रबंधन संस्थान यथाः–CIMP, LNMIM आदि	संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क (Caution Money) के साथ

नोट–उपरोक्त सूची में वर्णित संस्थान मात्र उदाहरण स्वरूप अंकित किये गये हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को परिभाषित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग की सहमति से विभाग द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया जाएगा।

(iii) केन्द्र प्रायोजित **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** तथा राज्य स्कीम से संचालित **''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित अनिवार्य शुल्क (अप्रतिदेय) शिक्षण शुल्क के साथ अनुमान्य की जायेगी।

(iv) केन्द्र प्रायोजित **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** तथा राज्य स्कीम से संचालित **''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना''** अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर राज्य के बाहर सभी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के विद्यार्थियों को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थानों में निर्धारित अनिवार्य शुल्क (अप्रतिदेय) शिक्षण शुल्क के साथ अनुमान्य की जायेगी।

(v) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

(vi) यह छात्रवृत्ति विधिवत् मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को दी जायेगी।

(vii) इस योजना से आच्छादित विद्यार्थियों को कोई भी अन्य छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।

(viii) इस स्कीम के तहत् समय–समय पर भारत सरकार की निर्गत मार्गदर्शिका में छात्रवृत्ति की दर इस ज्ञापन पर निर्धारित दर के अधीन होगी।

(ix) संस्थान को दिया जाने वाला Caution Money Refundable होगा।

(x) उपर्युक्त के अतिरिक्त समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुरक्षण भत्ता/शैक्षणिक भत्ता (Academic Allowance) नियमानुसार देय होगा।

(xi) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी।

6–उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अंतर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

7–विभागीय संकल्प संख्या 4061 दिनांक–16.05.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

01.02.16

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राज पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः—05/निदे0(छात्र0)23—151/2016— 636 पटना, दिनांक— 03/02/2026

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

03.02.26

सरकार के सचिव